

12-38
02/04/2019

सं०सं०'14/एम-11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड़
नियर सगुना मोड़, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सहना परवीन पिता-मोस्तफा मियां ग्राम-करीम नगर पो०-थाना-मोहीउद्दीन नगर जिला-समस्तीपुर पंजीसं०-1819/1610	सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	दीना नाथ उपाध्याय पिता-स्व० बृज राज उपाध्याय ग्राम-पो०-बैसाडीह थाना-पीरो जिला-भोजपुर पंजीसं०-1819/2032	नी रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	शबाना खातुन पति-साहेब हुसैन ग्राम-मशरक पुरक टोला पो०-थाना-मशरक जिला-सारण पंजीसं०-1819/2033	हिप रिपलेस्मेंट	1,70,000	एक लाख सतर हजार स्वीकृत।
4	हसन तारा पति-मो० कैसूर ग्राम-चमरा गोदाम गली पो० प्रधान डाकघर थाना-नगर जिला-मुजफ्फरपुर पंजीसं०-1819/1463	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अशोक साव पिता-बैजनाथ साव ग्राम-डिहरा पो-मनीयच थाना-पवाना जिला भोजपुर पंजीसं-1819/2005	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,30,000 /- (सात लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं०875322.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर डी. रजंन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....875322.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 394 (14)

पटना, दिनांक 22/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/19
निदेशक प्रमुख
को.रजंन

12-38
02/04/2019

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नागेश्वर कुमार ठाकुर पिता-सुदामा ठाकुर ग्राम-दुर्गा स्थान डंडखोरा पो०+थाना-डंडखोरा जिला-कटिहार हौस्पिटलनं०-257618	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रीता सिन्हा पति-अजय प्रसाद सिन्हा ग्राम-शिव शक्ति नगर पो०-महेन्दु, थाना-बहादुरपुर जिला-पटना यु०एचआईडीनं०-258207	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	अरुण कुमार पिता-देव नारायण यादव ग्राम-पो०-जीयनगंज थाना-सरसी जिला-पूर्णिया पंजी सं०-256486	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
4	सेयरा खातुन पति-मो० अमिरो खान ग्राम-पेटभरी पो०-थाना-पौवाखाली जिला-किशनगंज यु०एचआईडीनं०-222556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	सरस्वती देवी पति-सिंगेश्वर सिंह ग्राम-लक्ष्मणपुर पो०-चन्दा थाना-बख्तियारपुर जिला-धनुषा यु०एचआईडीनं०-257066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	मनोज कुमार साह पिता-स्व० काशी नाथ साह ग्राम+पो०-पानापुर लंगा थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली पंजीसं०-257602	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	कुंदन कुमार सिंह पिता-राम बाबु सिंह ग्राम-हुसैनी जमुनीया टोला पो० मंगलपुर थाना-डुमरीया घाट जिला-पूर्वी चम्पारण पंजीसं०-19 / 1431	सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			कुल ₹ 6,65,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 6,65,000/- (छः लाख पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875321 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 32987008657 खाता धारक का नाम- पारस एचएमआर आई अस्पताल, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-शेखपुरा, बेली रोड, राजा बाजार पटना 14, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003563 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें।
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० आर. डी. रजंन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 875321 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 422 (H)

पटना, दिनांक 22/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

12-38
02/04/2019

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,—226014

पटना, दिनांक.....

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	श्री निवास प्रसाद पिता—दीना नाथ प्रसाद ग्राम—पो०—कररीया थाना—जिला—गोपालगंज सीआरनं०—20181100656	नेत्र रोग सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	नाजीर हुसैन पिता—जमदार नियां ग्राम+पो०—रेपुरा थाना—हथुआ जिला—गोपालगंज सीआरनं०—2018703180	स्पाईनल रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	उषा देवी पति—ललीत नारायण प्रसाद ग्राम—पो०—भीतभरवा थाना—जिला—गोपालगंज सीआरनं०—2018353438	पेट रोग सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
4	रवि पिता—अजीत कुमार ठाकुर ग्राम—भोज पंडौल पो०—गजवा टोले चकला थाना—विस्फी जिला—पूर्णिया सीआरनं०—2009311345	मुत्र रोग सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
5	रेहान पिता—इम्तियाज आलम ग्राम—मंसुरी साह लेन पो०—थाना—नाथ नगर जिला—भागलपुर सीआरनं०—2015373536	हेपेटाइटिस बी०	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	बसंती देवी पति-अजय शर्मा जिला-भुवनेश्वर थाना मोहनीया जिला-भुवनेश्वर सीआरनं0-20181116797	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
7	रूपा देवी पति-मुन्ना कुमार ग्राम-घोसी पो0+थाना-घोषी जिला-जहानाबाद सीआरनं0-20171007243	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	बालेश्वर सिंह पिता-मंगल सिंह ग्राम-सिकटी पो0-अंजनी थाना-परसा जिला-सारण सीआरनं0-20181127570	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	मो0 इस्तियाक खां पिता-मो0 मोबारक खां ग्राम+पो0-रामपुरा थाना-सिंहवाड़ा जिला-दरभंगा सीआरनं0-2018816541	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
10	गोपाल कुमार पिता-बबन ठाकुर ग्राम-पो0-अर्थु थाना-दिनारा जिला-रोहतास सीआरनं0-2019028882	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
11	संगीता कुमारी पति-अरविन्द मंडल ग्राम-शिंगेश्वरी पो0-थाना-बौसी जिला-बांका सीआरनं0-2019015043	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
12	रामदेही देवी पति-गोपालजी प्रसाद ग्राम+पो0-चनपटिया थाना-चनपटिया जिला-पो चम्पारण सीआरनं0-2019012807	स्पाईनल सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
13	सीता राम भगत पिता-स्व0 झगरू भगत ग्राम-पानापुर पो0-नरियार पानापुर थाना-मीनापुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-2017052815	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

14	कृष्णा यादव पिता-छोटे लाल यादव ग्राम-अमरपुर टोला बरौली पो-अमरपुर थाना-दरौली जिला-सीवान सीआरनं-2015800980	हृदय रोग	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 18,15,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,15,000 /- (अठारह लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के कास चेक सं० 875326 द्वारा आभरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी० आई० डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आदेश की प्रति में यदि कहीं कोई आंशिक त्रुटि/भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों से मिलान कर रोगी का इलाज प्रारंभ किया जाय। रोगी को इसके लिए अनावश्यक परेशान नही किया जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 875326 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 413(H)

पटना, दिनांक

22/2/19

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

12-38
02/04/2019

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम त समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कल्पना देवी पति-अनिल सिंह ग्राम-चुहरचक पो०-थाना-बडहीया जिला-लखीसराय	हृदय रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
2	हलीमा खातुन पति-मो० सददाम हुसैन ग्राम-पो०-मधुआहा वृत्त थाना-राजेपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
3	बिकाउ मियां पिता-स्व० रसुल मियां ग्राम-पो-रूपनछाप थाना-बरौली जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	दिनेश शर्मा पिता-राम बालक शर्मा ग्राम-खरमौली पो०-फाजीलपुर थाना-वीरपुर जिला-बेगूसराय	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
5	रेखा कुमारी पति-महर्षि सुमन कुमार ग्राम-डुमरी पो०-तुर्की थाना-कुदरा जिला-भभुआ कैमुर सीआरनं०-253929/17	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	मास्टर आर्यन राज पिता-अखिलेश कुमार गुप्ता ग्राम-बलुआ टोला पो0-मिर्जापुर थाना-मधुसुदनपुर जिला-भागलपुर	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
7	ऐजाज खान पिता-स्व0 सेराजुल खान ग्राम-सैदपुर चकनुर पो0+थाना-दीघवारा जिला-सारण	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	नीलम देवी पति-भिखारी सिंह ग्राम-पो0-खिलवत थाना-विदुपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
9	आलोक कुमार तिवारी पिता-स्व0 ललन तिवारी ग्राम-चकताउल्लाह बाकरपुर पो0-मीनापुर राई थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	दिनेश सिंह पिता-स्व0 नागिन्द्र सिंह ग्राम-पो0-धनौर थाना-कटरा जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
11	गीता देवी पति-श्रवण कुमार ग्राम-होरीडीह पो0-सरेन थाना-नीमचक जिला-गया	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
12	सुनीता देवी पति-अशोक कुमार ग्राम-मोहब्बतपुर पो0-हाजीपुर थाना-गंगावृज जिला-वैशाली	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
13	पिंकी कुमारी पिता-रामाशंकर प्रसाद ग्राम-पो0-बड़का गांव थाना-सराय जिला सीवान	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,75,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,75,000/- (तेरह लाख पचहतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 875315 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाताधारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकाशित चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC का सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुपयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दिया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 875315 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

425(14)

पटना, दिनांक

22/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/19
निदेशक प्रमुख
पटना

12.3.8
02/04/2019

पत्रांक 14 एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
बी०एम० बीडला, हार्ट रिसर्च, सेंटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० तनवीर आलम पिता-मो० समी आलम ग्राम-करबीगहिया नियर बड़ी मस्जीद, पो०-जी०पी०ओ० थाना-जक्कनपुर जिला-पटना	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	केदार नाथ साह पिता-स्व० राम लखन साह ग्राम+पो०-हेदुआ थाना-राजपुर जिला-बक्सर	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875317 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30570709502, खाता धारक का नाम- बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-अलीपुर ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0000004 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मूश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4

मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....~~8752/7~~की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

417(14)

पटना, दिनांक

22/1/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
शा. रंजन

12-38
02/04/2019

सं0सं0-14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर.
कंकड़बाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नथु मियां पिता-फिताब मियां ग्राम-दुधियावा पो0-नौवाडीह थाना पहाड़पुर जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	संजय प्रसाद पिता-बासुदेव प्रसाद ग्राम-शाहपुर पो0+थाना+जिला-औरंगाबाद केसफाइलन0-सीआर/23195	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
3	मोतीजन खातुन पति-नथुनी मियां ग्राम-पो0-घोड़पकड़ी थाना-इनरवा जिला-पो चम्पारण	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,45,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,45,000/- (तीन लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 875324 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...~~875324~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख


ज्ञापांक

398(14)

पटना, दिनांक

22/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/2/19
निदेशक प्रमुख
21.2.19

12.38
02.04/2019

सं० सं०- 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एडं रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शकुनीया देवी पति-जनार्दन मंडल ग्राम-इटहरी, पो०-कुवारी थाना-धमदाहा जिला-पूर्णिमा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कुंदन कुमार पिता-सुरेन्द्र नारायण वर्मा ग्राम+पो०-बगौरा थाना-दरौदा जिला-सीवान	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	विनोद यादव पिता-स्व० राम लाल यादव ग्राम-कमलडीह पो०-पड़रीया थाना+जिला-बांका	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
4	मानो देवी पति-रामबली सिंह ग्राम-नसीरपुर बलवा पोस्ट-बरुणा, थाना-फतुहा जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	पिन्दु कुमार पिता-किशुन साह ग्राम-पो०-खेसराही थाना-पातेपुर जिला-वैशाली	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	जीमदार साह पिता-छटु साह ग्राम-नगरगावा पो0-राघोपुर, थाना-जुरावनपुर जिला-वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	संजु देवी पति-विश्वनाथ सिंह ग्राम-पो0 सरासत थाना-नौबतपुर जिला-पटना	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 4,40,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,40,000/- (चार लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुद्रणमंकी चिकित्सा संस्थान कोष", खाता संख्या सं० 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 8753/6 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख,

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 8753/6 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 428(14)

पटना, दिनांक 22.02.19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित मरीजों/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
22/2/19
31.1.19

12.38
02/04/2019

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सैरून खातुन पति-मो० जान मियां ग्राम-सकला पो०-थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	विजय सिंह कुशवाहा पिता-स्व० तेतर महतो ग्राम-गुलाब नगर पो०-थाना-सिरदला जिला-नवादा	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सुनीता देवी पति-अशोक कामत ग्राम-कचनरवा पो०-बेलही भवानीपुर थाना-लौकही जिला-मधुबनी	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	बिभा देवी पति-कमलेश प्रसाद सिंह ग्राम-पो०-तोषे थाना-शाहजहापुर जिला-पटना	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	मंजु देवी पति-शैलेन्द्र प्रसाद ग्राम-चितर बीगहा पो०-वाली बेलछी थाना-चंडी जिला-नालंदा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	अनिल राय पिता-युगेश्वर राय ग्राम-मोरवा मोहनपुर पो०-मोरवा, थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर	पेट रोग सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

7	अशोक कुमार पिता-कृष्ण यादव ग्राम-अतबल बीगहा पो-भतहर थाना-थरथरी जिला-नालंदा	पेट रोग सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 5,80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,80,000/- (पांच लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875325 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 875325 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 393(14)

पटना, दिनांक 22/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

12-38
02/04/2013

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिवझरी देवी पति-ब्यास भगत ग्राम-सरौत पो०-भागर थाना-सीसवन जिला-सीवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	श्री प्रकाश सिंह पिता-भागेश्वर सिंह ग्राम-पो०-कुदरबाधा थाना-गरखा जिला-सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	आसमीन बानो पति-मो० शमशाद हुसैन ग्राम-दरगाह मोहल्ला पो०-बेतिया थाना नगर जिला-पो चम्पारण	ई० एन० टी० रोग सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	कृष्णा साव पिता-स्व भुलेटन साव ग्राम-सतगली साउथ संगत पो०+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	ब्रेन रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	ब्रजेश कुमार पिता-स्व० रामानुज सिंह ग्राम-पो०-लई थाना-बिहटा जिला-पटना	हड्डी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	श्याम सुन्दर देवी पति राम बाबु सिंह ग्राम+पो0-पैनाठी थाना-बिहटा जिला-पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	सुनील कुमार पिता-धनी राम ग्राम-स्टेशन रोड मखदुमपुर पो0+थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	नी रिपलेस्मेंट	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	शंभु कुमार पिता-कमलेश प्रसाद ग्राम-सहवाजपुर पो0-सरथुआ थाना-काको जिला-जहानाबाद	मैक्सीलो फेसीयल सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	सीता देवी पति-पोषन राम ग्राम-भटईया बेलवा पो0-बेलवा मोड़ थाना-बथवरीया जिला-प0 चम्पारण	मैक्सीलो फेसीयल सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	धिरज कुमार पिता-स्व0 महाराजी महतो ग्राम-पो0-नरहन थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर	स्पोंडी लाइटीस रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	यशोदा देवी पति-बिजेन्द्र पासवान ग्राम-बडी पहाडी मंसुर नगर पो0+थाना-सोहसराय जिला-नालंदा	हिप रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
12	मालती देवी पति-जगदीश ठाकुर ग्राम-जदुआ पो0-थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	बिट्टु कुमार पिता-प्रमोद सिंह ग्राम-कनसुआ पो0-रतनी बाजार थाना सकुराबाद जिला-जहानाबाद	मैक्सीलो फेसीयल सर्जरी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	अलीसा प्रवीण पिता-मो0 इरफान ग्राम-इस्लामपुर पो0-मथुरापुर थाना-जिला-खगड़िया	Hydro cephalus रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

15	मिस करीना कुमारी पिता-कारु कुमार ग्राम-पो0-माधोपुर थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सहेन्द्र चौधरी पिता-बाढन चौधरी ग्राम-मुरलीहील बैरागी पो0 आर0 एस0 थाना-कोतवाली जिला-गया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	अंजना देवी पति-मदन जयसवाल ग्राम-अमानत टोला पो0-अरजपुर थाना-चौसा जिला-मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	संध्या कुमारी पिता-लाल बाबु शर्मा ग्राम-अहिआई पो0-बैकुंठपुर थाना-राजापाकड़ जिला-वैशाली	मैक्सीलो फेसीयल सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
19	तहरून निशा पति-मो0 हबीब ग्राम-बकटपुर पो0-बकटपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	आरती देवी पति-सज्जन कुमार सिंह ग्राम-बीबीपुर पो0-सरसी थाना-पालीगंज जिला-पटना	न्युरो सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	मनोज कुमार पिता-नन्दु प्रसाद ग्राम-बनघारा पो0-घोसौत थाना सिवाय पट्टी जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
22	जोधन सिंह पिता-राजदेव सिंह ग्राम-थाना-मेहदिया पो0-जयपुर जिला-अरवल	नी रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

23	हिमांशु कुमार पिता-झुलन कुमार ग्राम-मानीकपुर पो0-बड़डोपुर थाना-बंजारवा जिला-पटना	कोकलीयर इम्पलांट	5,50,000	पांच लाख पचास हजार स्वीकृत।
24	कुंसुम देवी पति-राम प्रसाद पासवान ग्राम-आशा नगर पो0+थाना-सोहसराय जिला-नालन्दा	नी रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	शोभा देवी पति-मंटु चौधरी ग्राम-सैदपुर पो0-परसा थाना-दरियापुर जिला-सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	बेबी कुमारी पिता-धिरेन्द्र ठाकुर ग्राम+पो0-डुमरीकला थाना-मेजरगंज जिला-सीतामढ़ी	ब्रेन ट्युमर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 27,40,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 27,40,000/- (सताईस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 875323 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

5. स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~875323~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 420(14)

पटना, दिनांक 22/2/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ संबंधित मरीजों/आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
20/2/19
निदेशक प्रमुख
आ. वि.